फर्द अहकाम

रामचन्द्र बनाम अर्जुन वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 30/2019

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07.02.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 विवादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है जिनकी संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम चक मनोहरपुर, पटवार हल्का लखेर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चंदवाजी, तहसील आमेर, जिला जयपुर पर अवस्थित है जिसके खाता संख्या 161 जिसके हाल खसरा नम्बर 182 रकबा 1.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 186 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 186/834 रकबा 1.31 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.20 हैक्टेयर जिनका हिस्सा राजस्व जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि पर करीब 300 पैड़ आंवले के लगे हुये है, कृषि भूमि की सिंचाई हेतु संयुक्त रूप से बोरिंग बनाया हुआ है, तथा वादी एवं प्रतिवादीगण का आना जाना एक ही रास्ते से वर्षो पूर्व से होता आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 उपरोक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर संयुक्त रूप से मनबट के आधार पर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त विवादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य आज दिन तक विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की नियत में कुछ समय से बेईमानी व फितूर आया हुआ है तथा वादी से द्वेषता रखते है, जिससे वे वादी के हिस्से की भूमि को हडप करने की नियत से वादी को आंवले के पेडों से फल नहीं तोडने देते है, बोरिंग से सिंचाई नहीं करने देते है, तथा रास्ते से आने जाने से रोकते है तथा भूमि का उपयोग उपभोग में बाधा कारित करते है तथा वादी को जबरन बेदखल करने की धमकी देते है जिसका कि उन्हें किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी नियत से दिनांक 25.10.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ने एक राय होकर वादी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर से आंवले के पेड के फल नहीं तोडने दिये तथा बोरिंग से सिंचाई नहीं करने दी तथा रास्ते से आने जाने में बाधा कारित की तथा भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित की, जिस पर वादी ने विरोध किया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी से नाराज हो गये तथा वादी के साथ गाली गलौच की एवं वादी को उक्त भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा हुये तथा आवले के पेड से आवले नहीं तोडने दिये तथा रास्ते में आने जाने तथा भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित की, जिसका वादी ने विरोध किया तो मौके पर हल्ला सुनकर आस पास के काश्तकारों व राह चलते व्यक्तियों की काफी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 व उनके साथ आये अन्य व्यक्ति उस समय तो मौके पर से चले गये, लेकिन जाते समय वादी को ऐलानिया धमकी देकर गये कि वे शीघ्र ही मौका पाकर उक्त भूमि से बेदखल करके रहेंगे, जिसका कि उन्हें किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को मूल वाद के निस्तारण तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। बहस प्रार्थी पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हमने पाया कि वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद [illegible] उभयपक्षकारान में से किसी एक खातेदार के द्वारा किसी विशिष्ट [illegible] निर्माण या बेचान कर देनें से वादग्रस्त भूमि का स्वरूप [illegible] प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला [illegible] सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वी[illegible] किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.11.2019 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.20 14:56:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर